

भारत सरकार

व्यवसाय - प्रमाण पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री नागमणि कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री नन्द लाल रॉय निवासी चैंबर नंबर टी-25, प्रथम तल, तहसील लेन, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054 को नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें नोटेरी के रूप में सम्पूर्ण दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है। मेरे हस्ताक्षर से और सरकार की मुद्राधीन 04/04/2025 तारीख को दिया गया।

GOVERNMENT OF INDIA
Certificate of Practice

Certified that Shri/Smt./Ms.Nagmani Kumar Son/ Daughter/ Wife of Sh. Late Mr. Nandlal Roy Resident of 416-46 B-Block Street-2 Laxmi Vihar, Burari,NORTH,DELHI has been appointed as a Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and is authorised to practice as such, in and throughout CENTRAL DELHI for a period of five years. Given under my hand and seal of the Government of India, on this day of 04/04/2025 .

उप विधिक सलाहकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग नई दिल्ली

Deputy Legal Adviser

Ministry of Law & Justice

Department of Legal Affairs New Delhi